**संख्याः 1754/एक–10–2021–33(11)/2021**

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, झांसी, ललितपुर, गाजीपुर, मीरजापुर, वाराणसी, महराजगंज, अम्बेडकरनगर, कुशीनगर, मऊ, बलरामपुर, बलिया, खीरी, बाराबंकी, श्रावस्ती, देवरिया, बिजनौर, हमीरपुर, बहराइच, चंदौली, बस्ती, जालौन, आगरा, चित्रकूट, सुल्तानपुर, संत कबीरनगर, गोंडा, कानपुर देहात, प्रतापगढ़, सीतापुर, बांदा एवं औरैया।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ : दिनांकः 23 अक्टूबर, 2021

विषयः–वित्तीय वर्ष 2021–22 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को कृषि निवेश अनुदान के अंतर्गत राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिये राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों से प्राप्त सूचना/विवरण के आधार पर वित्तीय वर्ष 2021–22 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को कृषि निवेश अनुदान के अंतर्गत राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिये राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर दिनांक 18.10.2021 तक फीड किये गये प्रभावित कृषकों, जिनके जनपदों द्वारा डाटा सत्यापित कर फ्रीज किये गये थे, उन 35 जनपदों के कुल 2,35,122 कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 21.10.2021 द्वारा रू0 7788.96748 लाख (सतहत्तर करोड़ अट्ठासी लाख छियानबे हजार सात सौ अट्ठहत्तर मात्र) की धनराशि आवंटित की गयी है।

2– पूर्व में शासन के आदेश संख्या–1724/एक–10–2021–33(11)/2021, दिनांक 21.10.2021 द्वारा कृषकों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किये जाने हेतु कृषकों एवं उसके सापेक्ष आवंटित धनराशि रू0 7788.96748 लाख (सतहत्तर करोड़ अट्ठासी लाख छियानबे हजार सात सौ अट्ठहत्तर मात्र) के अतिरिक्त बाढ़ मद में निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **रू0 50,85,84,545/– (पचास करोड़ पचासी लाख चौरासी हजार पाच सौ पैतालिस मात्र)** की धनराशि कालम–2 में अंकित जनपदों के जिलाधिकारी को कालम–4 में अंकित धनराशि के अनुसार अग्रिम रूप से निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

| | | | **धनराशि लाख रू0 में** |
|---|---|---|---|
| **कम संख्या** | **जनपद** | **कृषकों की संख्या** | **स्वीकृत धनराशि** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | सिद्धार्थ नगर | 18238 | 584.71842 |

Manoj

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | गोरखपुर | 17538 | 457.62110 |
| 3 | झांसी | 16629 | 674.23467 |
| 4 | ललितपुर | 9952 | 548.32155 |
| 5 | गाज़ीपुर | 9789 | 267.66059 |
| 6 | मिर्ज़ापुर | 8679 | 280.90581 |
| 7 | वाराणसी | 7313 | 262.26554 |
| 8 | महाराजगंज | 6614 | 228.55941 |
| 9 | अम्बेडकर नगर | 6318 | 121.03437 |
| 10 | कुशी नगर | 5844 | 133.53236 |
| 11 | मऊ | 5578 | 195.72304 |
| 12 | बलरामपुर | 4700 | 152.82650 |
| 13 | बलिया | 3661 | 111.14327 |
| 14 | खीरी | 3461 | 197.64832 |
| 15 | बाराबंकी | 3344 | 101.24105 |
| 16 | श्रावस्ती | 3279 | 109.02199 |
| 17 | देवरिया | 2705 | 69.77683 |
| 18 | बिजनौर | 2495 | 100.38475 |
| 19 | हमीरपुर | 2435 | 62.43709 |
| 20 | बहराइच | 2181 | 106.18796 |
| 21 | चंदौली | 1799 | 47.28510 |
| 22 | बस्ती | 1737 | 47.98713 |
| 23 | जालौन | 1693 | 61.18521 |
| 24 | आगरा | 1678 | 51.19853 |
| 25 | चित्रकूट | 997 | 26.56073 |
| 26 | सुल्तानपुर | 804 | 16.20340 |
| 27 | संत कबीर नगर | 780 | 23.52295 |
| 28 | गोंडा | 375 | 16.49612 |
| 29 | कानपुर देहात | 307 | 8.34150 |
| 30 | प्रतापगढ़ | 268 | 5.70393 |
| 31 | सीतापुर | 143 | 12.02985 |
| 32 | बाँदा | 140 | 3.32905 |
| 33 | औरैया | 35 | 0.75733 |
| **Grand Total** | | **151509** | **5085.84545** |
| **(पचास करोड़ पचासी लाख चौरासी हजार पाच सौ पैतालिस मात्र)** | | | |

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन की शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं0—ए—1—803/दस—2013—10(28)/2011, दिनाक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका हैं, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातें में ई—पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(3) राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं0—32—7/2014—एनडीएम—1, दिनांकः 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांकः 01.04.2015 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तद्नुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुप्रयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(6) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा—जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.पद पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0—2/1—11—2013—रा0—11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण—पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—369—एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0—42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(9) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2 – उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि रू0 **रू0 रू0 50,85,84,545/– (पचास करोड़ पचासी लाख चौरासी हजार पाच सौ पैतालिस मात्र)** वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक **"2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–06–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–02–बाढ़ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय"** के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,
Manoj 23.10.21
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

**संख्याः 1754(1)/एक–10–2021–33(11)/2021, तद्दिनांक**

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2– सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
4– विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन(ई–बजट), राजस्व विभाग उ0प्र0 शासन।
5– वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
6– सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–5
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।